राजस्थान–सरकार

Government Of Rajasthan

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

OFFICE OF THE ASSISTANT MINING ENGINEER, DEPT. OF MINES AND GEOLOGY, SAWAR

खनिज–भवन / khanij Bhawan, बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)

क्रमांक–सखअ / सावर / स्टोर / 2022–23 / 632 दिनांकः– 10 / 8 / 2022

खुली निविदा सूचना संख्या 1 / 2022–23

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर (अजमेर) मे निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु सीलबद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अधिकतम लागत GST सहित (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू0 में)	बिड सिक्यूरीटी (रू0 में)
1-	10kw Solar Panel (Off Grid System)	5,72,000 / –	200 / –	11440 / –

नोटः–

1. उक्त निविदा से संबंधित शर्तो का अवलोकन विभागीय वेबसाईट https://www.mines.rajasthan.gov.in एवं https://www.sppp.rajasthan.gov.in UBN No- MIN2223GSOB00028 पर जाकर किया जा सकता है एवं कार्य दिवस में कार्यालय के नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा इस कार्यालय से दिनांक 22.08.2022 तक प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 23.08.2022 दोपहर 02:00 बजे तक है।
4. प्राप्त निविदाऐं दिनाक 24.08.2022 को दोपहर 03:00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
सावर।

Technical Specifications of 10kw Solar Panel (Off Grid System) including on site installation

Parameter	Specifications
Solar Panal Modules Efficiency	Polycrystalline 300 to 600 watt above Module efficiency up to 20% (25 year performance warranty)
Solar Battery	250-300 Ah (with Stands/Racks)
Solar Panel Structure	Galvanized GI Square Pipe Rooftop Mounted Racks Max. Height 10 Feet
Solar Inverter	10 kwh
Company/Brand	Waaree, Adani,Tata and equivalent MNC
Cable/ Electrical Accessories	All necessary connecting chords Copper cables, MC4 Connector As per Req.
Earthing & Lightning Arrestor	Earthing Chemical compound with 2 meter. copper bonded rod and lightning arrestor : Spike Type
Support	Guide Book would be provided for support and maintanance
BIS Registration	Yes
Energy Star Certification	Yes
Warranty /Guarantee	As per company norms to be provided on site

(Manoj Kumar Tanwar)
Assistant Mining Engineer
Sawar

राजस्थान–सरकार

Government Of Rajasthan

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

OFFICE OF THE ASSISTANT MINING ENGINEER, DEPT. OF MINES AND GEOLOGY, SAWAR

खनिज–भवन / khanij Bhawan,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)

निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देशं :–.

1. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता को बोली दस्तावेज़, खुली निविदा सूचना, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश सामान्य शर्ते एवं निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध 10kw Solar Panel (Off Grid System) एवं निविदा प्रपत्र प्राप्त कर व सावधानी पूर्वक अध्ययन कर निविदाऐं प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. समस्त निविदा कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2022 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
3. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार जावेगी। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से 200/– रू० निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदायें दिनांक 22.08.2022 तक कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के कमरा नम्बर 1 में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र जिस नाम से जारी किये जायेंगें उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
4. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **http:/www.mines.rajasthan.gov.in** व **http:/www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है, जिसके लिए निविदा शुल्क हेतु राशि 200/– (यदि निविदा कार्यालय में नकद राशि जमा करा कर प्राप्त नही की गई हो तो) का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, **"Assistant Mining Engineer" payable at Sawar** के नाम से देय, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. बिड़ सिक्युरिटी राशि रूपये 11440/– (जो कि अधिकतम लागत का 2 प्रतिशत है) का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक **"Assistant Mining Engineer" payable at Sawar** के नाम से देय, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
6. निविदादाता को निविदा के साथ निविदा शुल्क (यदि निविदा वेबसाईट से डाउनलोड़ की गयी हो) व बिड सिक्यूरीटी हेतु दो अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
   1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, **"Assistant Mining Engineer" payable at Sawar** के नाम से देय होंगे।
   2. निविदा शुल्क नॉन रिफन्डेबल होगा। निविदा परिणाम घोषित होने के बाद सफल बोलीदाता को छोड़कर शेष को बिड सिक्यूरीटी राशि शीघ्र लोटा दी जाएगी।
   3. बिड सिक्यूरीटी राशि निम्न स्थिति में जब्त कर ली जायेगी–
      (क) यदि निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद निविदा में संसोधन या निविदा वापस ली जाती है,
      (ख) यदि सफल निविदादाता द्वारा 500/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट एवं आदेश में अंकित राशि की 2.5 प्रतिशत राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा नही कराई जाती है।

7. निविदायें दिनांक 23.08.2022 दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के कमरा नम्बर 1 में जमा करवायी जा सकेगी। डाक/कुरियर से प्रषित निविदाऐं भी दिनांक 23.08.2022 को दोपहर 2:00 बजे तक ही कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के कमरा नम्बर 1 में प्राप्त की जायेगी। देरी से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। डाक देरी से प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। निविदायें दिनांक 24.05.2022 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

8. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।

9. निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये, किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लधु हस्ताक्षर करें । निविदा प्रपत्र स्याही या टाईपसे भरा जावें। पेन्सील से भरा हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को निविदा की समस्त शर्तो एवं निर्देशों की स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।

10. निविदा में दर्शाई गई कय की जाने वाली सामग्री की मात्रा अनुमानित है। दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल देने के लिए उसकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करनें के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

11. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में रु0 500/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं कार्यादेश में अंकित राशि की 2.5 प्रतिशत राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। यदि 'परफोरमेन्स सिक्युरिटी की राशि में कोई संशोधन होता है तो सफल निविदादाता को नियमानुसार संशोधित राशि जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित समस्त व्यय का वहन निविदादाता को ही करना होगा। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी, "Assistant Mining Engineer" payable at Sawar के नाम पर देय जमा करानी होगी। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी 1½ वर्ष हेतु जमा करानी होगी।

12. परफोरमेन्स सिक्युरिटी निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:–

(क) "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित

करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

13. सामन की सप्लाई निविदा प्रपत्र में दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार करनी होगी। निविदादाता को निविदा में सामग्री का मेक अंकित करना होगा एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर नमूना प्रस्तुत करना होगा।
14. न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं निविदा प्रक्रिया या प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है ।
15. निविदा का मुल्यांकन आयटमवाईज न्यूनतम बोली (L1) के आधार पर किया जायेगा।
16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्षपुष्टि के लिए उपार्थना (Canvassing) करना अयोग्यता होगी।
17. सफल निविदादाता को हस्ताक्षरित अनुबंध, दर अनुमोदन आदेश एवं क्रयादेश अनुसार कार्य को पूर्ण करना होगा। यदि निविदा प्रक्रिया या कार्य संबंधी कोई संदेह हो तो बोलीदाता दिनांक 22–08–2022 तक कार्यालय समय में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
18. सामान सप्लाई हेतु क्रय आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में सामान की आपूर्ति मय इन्स्टॉलेशन करनी होगी। क्रयादेश में दी गई अवधि से विलम्ब पर सामान आपूर्ति / कार्य सम्पादन करने पर निम्नानुसार विलम्ब शुल्क चार्ज कर भुगतान किया जायेगा।
    (अ) एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब– –मूल्य का 2.5%
    (ब) एक चौथाई कालावधि से अधिक परन्तु आधी कालावधि तक का विलम्ब –मूल्य का 5%
    (स) आधी कालावधि से अधिक परन्तु तीन चौथाई कालावधि तक का विलम्ब–मूल्य का 7.5%
    (द) तीन चौथाई काल से अधिक का विलम्ब –मूल्य का 10%
19. सप्लायर द्वारा सामान आपूर्ति के समय में वृद्धि चाहने के लिये सामान आपूर्ति की अंतिम तिथी से पूर्व निहित परिस्थितियों के वर्णन के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
20. सामान सप्लाई एवं बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् सामानं का निरीक्षण विभाग की निरीक्षण कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा सामान उपयुक्त पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा एवं सामान में अथवा कार्य में कोई भी कमी पाये जाने पर सप्लायर को अपने खर्चे पर सामान रिप्लेस अथवा सही करना होगा ।
21. भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोतों पर कर कटौती एवं GST की कटौती के प्रावधान लागू होंगे तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही नियमों के तहत भुगतान किया जायेगा।
22. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार का ब्याज दिया जायेगा।
23. भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा।
24. निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगेः–
    1 GST नम्बर का GST पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
    2 निविदा शुल्क (यदि निविदा वेबसाईट से डाउनलोड़ की गयी हो) व बिड सिक्यूरीटी हेतु दा अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक,
    3 घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)

4 निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित (वर्णित शर्तो नियमों एवं निर्देशो में उनकी स्वीकृति के रूप में) संपूर्ण निविदा दस्तावेज यथा खुली निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध 10kw Solar Panel (Off Grid System)

5. अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो।

25. विभाग में सप्लाई/कार्य हेतु बोलीदाता के कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। सप्लाई/कार्य के दौरान किसी भी नुकसान, क्षति, दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

26. कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता अपने लगाये हुए कर्मचारी के आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से किसी भी नुकसान या क्षति, के लिये बीमा करा सकता है एवं बीमा का सारा खर्च स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा। विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

27. कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के पास सामग्री आपूर्ति हेतु नियमों और शर्तो को बदलने, सही करने व संशोधित करने का अधिकार होगा।

28. सफल फर्म द्वारा कयादेश / अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर कयादेश / अनुबंध समाप्त करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा एवं इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

29. स्थानीय उघमों को किमत/कय अधिमानता नियमानुसार दी जायेगी।

30. बोली से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/जानकारी http:/www.mines.rajasthan.gov.in व http:/www. sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी ।

31. कोई भी विधिक विवाद होने पर सक्षम न्यायालय केकडी में ही वाद दायर किया जा सकता है।

32. वित विभाग के परिपत्र 3/2013, दिनांक 4.02.2013 के अनुसार संलग्न 10kw Solar Panel (Off Grid System) निविदा तथा अनुबंध का हिस्सा होगें। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के सभी नियम निविदा पर प्रभावी माने जायेगे।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
सावर।

क्रमांकः–सम/ 633 — 637 दिनांकः– 10/8/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू–विज्ञान विभाग निदेशालय,उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें !
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर–वृत, अजमेर।
4. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. स्टोर/केशियर शाखा।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग
सावर।